

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकB/585...../

जबलपुर, दिनांक 30/01/2019

II-13-55/18

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री राधेश्याम, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 15/08/2018 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 239 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती कृष्णा बाई चौहान पति स्वर्गीय श्री राधेश्याम, भृत्य को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक.....B/586...../

जबलपुर, दिनांक 30/01/2019


II-13-55/18

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/2500/लेखा/2018 इन्दौर, दिनांक 14/12/18 के संदर्भ में स्वर्गीय श्री राधेश्याम, भृत्य खण्डपीठ इंदौर का अवकाश लेखा मूलतः एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,



(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)
